तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **स्थगन प्रार्थना पत्र संख्याः 15/2020**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
17.2.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थीगण श्री जितेन्द्र पटेल पुत्र चंदाराम जी, जाति– घांची, निवासी– सिरोही व अन्य के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 72/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.1.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 28.2.2020 नियत है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.1.2020 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 2567 रकबा 0.32 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 10.1.2020 की आड में अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 201803085101473 दिनांक 06.8.2018 के द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम पाडीव के खाता संख्या 192 खसरा संख्या 3486/2569 रकबा 0.3900 हेक्टेयर से बेदखल करने हेतु आमदा है। यह कि विवादित खसरा संख्या 2567 तथा अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की गई खसरा संख्या 3486/2569 की भूमि पास–पास स्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित खसरा संख्या 2567 की गोचर भूमि की पेमाईश किये बिना ही अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3486/2569 रकबा 0.3900 हेक्टेयर से बेदखल करने हेतु आमदा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.1.2020 की क्रियान्विति एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी को अतिक्रमित गोचर भूमि से ही बेदखल किया जा रहा है। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थीगण का ग्राम पाडीव के खसरा 2567 रकबा 0.32 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण होना प्रथम दृष्टया साबित होता है, इसलिये उक्त अतिक्रमित गोचर भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नही है, लेकिन अपीलार्थीगण ने ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 3486/2569 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.8.2018 के द्वारा श्री चौथीया उर्फ चौथाराम पुत्र धरमा जी घांची, निवासी– पाडीव से कीमतन क्रय की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थीगण द्वारा क्रय की गई क्रय की गई भूमि ग्राम पाडीव के खाता संख्या 192 खसरा संख्या 3486/2569 रकबा 0.3900 हेक्टेयर में ताफैसला अपील किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मूल अपील के साथ नत्थी की जावे। अति. जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested